उत्तर प्रदेश शासन

विकलांग कल्याण अनुभाग–1

संख्या–192/65–1–95–18(3)/95

लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 95

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि विकलांगों के आर्थिक उत्थान, पुनर्वासन एवं सेवायोजन सम्बंधी समस्याओं के निदान के लिए उद्योग बन्धु के समान एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **जिला विकलांग बन्धु** का निम्न प्रकार गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी (जिला विकलांग कल्याण अधिकारी की नियुक्ति जब तक नहीं होती है, जिला समाज कल्याण अधिकारी संयोजक/सचिव का कार्य करेंगें।)	संयोजक/सचिव
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
5.	सचिव, जिला सैनिक कल्याण केन्द्र	सदस्य
6.	लीड बैंक के अधिकारी	सदस्य
7.	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम	सदस्य
8.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
9.	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
10.	विकलांगों के कल्याणार्थ कार्यरत संघो तथा संगठनों के पांच प्रतिनिधि जिनका मनोनयन जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।	सदस्य

2. "जिला विकलांग बन्धु" की बैठक महीने में एक बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सभी अधिकारी भाग लेंगे एवं विकलांगों की समस्याओं का निदान इस बैठक के माध्यम से करेंगे।

3. बैठक की कार्यवाही एक रजिस्टर में नोट की जायेगी, जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर लिये गये निर्णय एवं की गयी कार्यवाही का उल्लेख होगा।

4. "जिला विकलांग बन्धु" का स्तर "जिला उद्योग बन्धु" के समान होगा और इसके द्वारा लिये गये निर्णय सम्बंधित विभागों के लिये वहीं प्रभाव एवं महत्व रखेंगे, जो "जिला उद्योग बन्धु" के रखते हैं।

5. जब तक जिले में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक जिला समाज कल्याण अधिकारी समिति के संयोजन/सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

6. इस समिति द्वारा लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन जिला विकलांग कल्याण अधिकारी सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क करके सुनिश्चत करेंगे तथ आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करेंगे।

नेतराम
सचिव
विकलांग कल्याण विभाग।

पृष्ठांकन सं0 192(1) 65—1—95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निदेशक, समाज कल्याण, कल्याण भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त सेवायोजन अधिकारी, उ0प्र0।
10. सचिव, जिला सैनिक कल्याण परिषद।
11. समस्त लीड बैंकों के अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम, उ0प्र0।

आज्ञा से
आनन्द शंकर श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।